न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 20/2019 जिला दौसा ।

1. रूपनारायण पुत्र पांच्या उर्फ पांचूराम जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र तिलोका
2. शिवदयाल पुत्र तिलोका
   जाति माली निवासी बसवा पटेलो का बास तहसील बसवा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा
4. नत्था पुत्र टेका
5. कम्पूरी पत्नि कालूराम
6. सुभाष पुत्र कालूराम
7. महेन्द्र पुत्र कालूराम
   समस्त जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा
8. फूलवती पुत्री कालूराम पत्नि रामकरण
9. बिल्लू बाई पुत्री कालूराम पत्नि पूरण
   समस्त जाति माली निवासी कैंची वाली ढाणी, बडियाकलां तहसील बसवा जिला दौसा
10. शम्भूदयाल पुत्र लिछमण जाति माली निवासी बसवा महादेव वाली ढाणी , तहसील बसवा जिला दौसा
11. प्रभात्या पुत्र बाल्या
12. रामस्वरूप पुत्र बाल्या
13. डालचन्द पुत्र बाल्या
14. रामकरण पुत्र बाल्या
15. रामावतार पुत्र बाल्या
    समस्त जाति माली निवासी बसवा पटेलो का बास तहसील बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 10.07.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट अरविन्द कुमार पारीक।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 श्री सी.एल. मीना।

निर्णय

दिनांक–10.03.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 10.07.2019 के खिलाफ दिनांक 16.07.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील रूपनारायण बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2019 के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रसतुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनन मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट खारिज की गई।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2019 को निरस्त करते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से श्री सी.एल. मीना एड. ने वकालतनामा पेश

Scanned by CamScanner

किया परन्तु बरवक्त बहस उपस्थित नही आये। शेष रेस्पोडेंट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट् की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि Ab initio void आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई मियाद नही होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी स्पष्ट है कि तिलोका अपीलांट के पिता पांच्या का पुत्र नही था फिर भी पांच्या की विरासत के नामान्तकरण में तिलोक पुत्र नारायण का हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया जो प्रारम्भतः ही शून्य प्रभावी हैं। अतः इस प्रकार के आदेश को मियाद के तकनीकी बिन्दु पर निस्तारित नही कर गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना चाहिये। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त कथन पर अपील स्वीकार किये जाने एवं प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ प्रथम अपीलीय अधिकारी को रिमाण्ड किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 19 टेका व पाच्या की विरासत पर नायब तहसीलदार बसवा द्वारा तस्दीक किया गया हैं। नायब तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तकरण के पृष्ठांकन में आदेश अंकित किया गया है कि "टेका व पांच्या मृतक के उतराधिकारी लिछमण हिस्सा 1/4 व बाल्या नथ्या पिता टेका हिस्सा 1/4, रूपनारायण पुत्र पाच्या हिस्सा 1/4 व तिलोका पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 स्वीकार है।" उक्त आदेश से स्पष्ट है कि पांच्या की विरासत में तिलोका पुत्र नारायण का नाम अंकित किया गया है परन्तु उक्त प्रविष्टि किस आधार पर दर्ज की गई है इसका कोई उल्लेख नही है। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अनतर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत कर दस्तावेजात मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मोजा बसवा सम्वत 1984 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के पिता तिलोका के पिता नारायण को श्योबक्श का पुत्र दर्शाया गया है न कि पांच्या का। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 का जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट के कथनो को इन्कार मात्र किया गया है परन्तु अपीलांट को प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी कब से थी, इसके संबंध में लेशमात्र भी कथन नही किया गया है न ही रेस्पोडेंट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र विहीन प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का कोई विधिक साक्ष्य नही होता हैं । रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाब प्रार्थन पत्र में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेंट पांच्या के वारिसान की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त कथन उनके द्वार प्रस्तुत दस्तावेजात में वर्णित प्रविष्टि के विपरीत हैं । इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किये जाने योग्य है। मियाद के तकनीकी बिन्दु के आधार पर खारिज किये जाने योग्य नही है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में वर्णित कथनो का खण्डन भी रेस्पोडेंट द्वारा शपथ सहित नही किया गया है, न ही अपीलांट को पूर्व से ही जानकारी होने का कोई कथन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2019 में अंकित किया गया है कि "पत्रावली में उपलब्ध तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 05.08.1955 को नायब तहसीलदार बसवा द्वारा तस्दीक किया गया। जिसे लगभग 63 वर्ष हो चुके हैं अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो चलने योग्य नही होने से हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद को खारिज किया जाना उचित समझते है।" उक्त विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 को सरसरी तौर पर खारिज किया गया है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तकरण की जानकारी कब से थी, इस पर कोई विवेचन नही किया गया हैं। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एक नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां गुणावगुण का महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हो वहां पर मियाद पर नरम रूख अपनाते हुये प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2019 व प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 19 वाके ग्राम बसवा तहसील बसवा जिला दौसा को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

09. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner